223

संख्याः 155 (I)/XXXVI(1)/2012–75/2007 टी0सी0

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. श्री जयंत के सूद
अधिवक्ता,
चैम्बर नं0–103, लायर्स चैम्बर,
मा0 दिल्ली उच्च न्यायालय,
नई दिल्ली–110003

2. श्री जितेन्द्र दीवान,,
अधिवक्ता,
चैम्बर नं0–108, न्यू लायर्स चैम्बर्स,
सी0के0 दफतरी ब्लॉक,
शेरशाह रोड, मा0 उच्चतम न्यायालय,
नई दिल्ली–110001

3. श्री सुनील कुमार सिंह,
अधिवक्ता,
आवास– सी0–14, लवली आपर्टमेन्टस,
म्यूर विहार, फेज–I (एक्सटेन्शन),
नई दिल्ली–110091

4. श्री एस0एस0 शमशेरी,
अधिवक्ता,
कार्यालय– 1–8, एल0जी0एफ0, जंगपुरा
एक्सटेन्शन, नई दिल्ली–110014

5. श्री आशुतोष कुमार शर्मा,
अधिवक्ता,
सी0–210, अजनारा प्राईड मेवाड लॉ,
इन्स्टीटयूट के समीप, वसुन्दरा
सेक्टर–4बी0 गाजियाबाद, उ0प्र0

6. श्री अमित आनन्द तिवारी,
अधिवक्ता,
105–न्यू लायर्स चैम्बर,
मा0 उच्चतम न्यायालय,
नई दिल्ली–110001

न्याय अनुभागः1

देहरादून : दिनांक 20 जून, 2012

विषय : स्थायी अधिवक्ता के पद से आबद्धता समाप्त किया जाना।

महोदय,

1– शा0स0–267/XXXVI(1)/07-75/07 दिनांक 25–05–2007
2– शा0स0–430/XXXVI(1)/07-75/07 दिनांक 09–08–2007
3– शा0स0–477/XXXVI(1)/07-75/07 दिनांक 10–09–2007
4– शा0स0–02/XXXVI(1)/08-75/07 दिनांक 07–01–2008
5– शा0स0–184/XXXVI(1)/2010-75/07 दिनांक 16–09–2010
6– शा0स0–230/XXXVI(1)/2010-75/07 दिनांक 02–11–2010

शासन के पार्श्वांकित शासनादेश द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपको शासनादेश जारी होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक स्थायी अधिवक्ता के पद पर आबद्ध किया गया था। उक्त आबद्धता इस शर्त के साथ जारी की गयी थी कि उसे किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा स्थायी अधिवक्ता के रूप में आपकी आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ कि यदि आपके पास उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित अभिलेख हों तो उन्हें सम्बन्धित एडवोकेट ऑन रिकार्ड को तुरन्त हस्तगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्याः 155 (I) (1)/XXXVI(1)/2012–75/2007 टी0सी0 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– महाधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
3– महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।

क्रमशः.....2